एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्नपत्र :** एडीआर रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही मे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने आठ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की आय के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- एडीआर की एक रिपोर्ट में उल्लिखित है कि 2020-2021 में आठ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की आय का 54% भाजपा को प्राप्त हुआ।
- एडीआर ने भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई वार्षिक लेखापरीक्षित रिपोर्टों का विश्लेषण किया।
- 1,373.78 करोड़ रुपये की कुल घोषित आय में से भाजपा के पास 752.33 करोड़ रुपये थी, जबकि कांग्रेस 285.76 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर थी, उसके बाद क्रमशः CPI(M) 171.04 करोड़ रुपये, तृणमूल कांग्रेस ने 74.41 करोड़ रुपये, बसपा 52.46 करोड़ रुपये, राकांपा 34.92 करोड़ रुपये, भाकपा 2.12 करोड़ रुपये और नेशनल पीपल्स पार्टी (69 लाख रुपये) का स्थान है।
- बीजेपी ने जहां अपनी आय का 82 फीसदी खर्च किया, वहीं कांग्रेस ने अपनी कमाई का 73.14 फीसदी खर्च किया. तृणमूल कांग्रेस का खर्च उसकी कमाई से 78.10% अधिक था।

आय का मुख्य स्रोत

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के लिए आय का प्राथमिक स्रोत स्वैच्छिक योगदान था, जबकि कांग्रेस को अपनी अधिकांश आय कूपन जारी करने से और बसपा को बैंक ब्याज से मिली।
- भाजपा ने अपने कुल खर्च का अधिकांश हिस्सा "चुनाव/आम प्रचार" (421.01 करोड़ रुपये) पर खर्च किया। वहीं चुनावी खर्च पर कांग्रेस और राकांपा ने अपने कुल खर्च का 84% "प्रशासन और सामान्य खर्च" पर व्यय किया।
- भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने चुनावी बांड से क्रमश: 22.38 करोड़, 42 करोड़ और 10.07 करोड़ रुपये की आय घोषित की।
- एडीआर की रिपोर्ट में पाया गया कि सभी दलों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट 59 दिनों (बसपा) से लेकर 201 दिनों (बीजेपी) तक की समय सीमा से पहले जमा कर दी थी।

एडीआर रिपोर्ट

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्थापना 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा की गई थी।
- इसका लक्ष्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर काम करके शासन में सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करना है।
- एडीआर देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने प्रयासों को केंद्रित करता है:
    - राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण।
    - बेहतर और सूचित विकल्प के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित सूचना के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं का सशक्तिकरण।
    - राजनीतिक दलों की अधिक जवाबदेही की आवश्यकता।
    - पार्टी के भीतर लोकतंत्र और पार्टी के कामकाज में पारदर्शिता की आवश्यकता।

चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के प्रस्ताव को बाधित किया

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्नपत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

चीन ने यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध करने के भारत-अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को रोक दिया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- मक्की को अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। मक्की लश्कर-ए-तैयबा के सरगना एवं 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है।
- मक्की लश्कर-ए-तैयबा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता रहा है, जिसे अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन (एफटीओ) घोषित कर चुका है। भारत और अमेरिका दोनों ने मक्की को अपने-अपने देश के कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है।
- चीन ने अपने इस कदम को संबद्ध प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुरूप बताया है।

प्रस्ताव

- भारत और अमेरिका ने एक जून को मक्की को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अलकायदा एवं आईएसआईएल प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने का संयुक्त रूप से प्रस्ताव किया था।
- इसे यूएनएसी 1267 समिति के तौर पर भी जाना जाता है।
- यद्यपि, पाकिस्तान के निकट सहयोगी चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर एक तकनीकी रोक लगा दी और यह उपाय एक बार में छह महीने की अवधि तक काम करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।
- प्रतिबंधों का आवेदन इस संबंध में परिषद की संभावनाओं में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के तहत प्रतिबंध उपायों में प्रवर्तन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें सशस्त्र बल का उपयोग शामिल नहीं है।
- यह आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिक लक्षित उपायों तक हो सकते हैं, जैसे कि धन की जब्ती और यात्रा प्रतिबंध।

प्रतिबंध व्यवस्था

- वर्तमान में यूएनएससी में 14 सक्रिय प्रतिबंध व्यवस्थाएं हैं, जो सशस्त्र संघर्षों, परमाणु अप्रसार और आतंकवाद विरोधी में राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिबंध व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं।

प्रतिबंध समिति

- प्रत्येक प्रतिबंध व्यवस्था को एक प्रतिबंध समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य होते हैं।
- 15 सदस्यों में शामिल हैं - 5 स्थायी सदस्य और यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्य।
- ये प्रतिबंध समितियां प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं और विशिष्ट व्यक्तियों, उद्यमों या संस्थाओं के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों को अपनाने के लिए आम सहमति से निर्णय ले सकती हैं।

- यूएनएससी अल-कायदा और आईएसआईएल प्रतिबंध समिति या 1267 प्रतिबंध समिति उनमें से एक है।
- 1267 प्रतिबंध समिति को आईएसआईएल (दाएश) और अल कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में भी जाना जाता है।
- यह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय संयुक्त राष्ट्र सहायक निकायों में से एक है, विशेष रूप से आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में।
- यह उपरोक्त संगठनों से जुड़े व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों से संबंधित प्रतिबंध उपायों की देख-रेख करता है।
- यह समिति यूएनएससी के प्रस्तावों 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की देख-रेख करती है।

कार्य

- समिति आतंकवादियों की आवाजाही को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर चर्चा करती है, विशेष रूप से यात्रा प्रतिबंधों से संबंधित, संपत्ति की जब्ती और आतंकवाद के लिए हथियार प्रतिबंध।
- एक बार जब कोई संस्था या व्यक्ति सूची में शामिल हो जाता है तो उसे "वैश्विक आतंकवादी" के रूप में नामित किया जाता है।

सदस्य राज्यों के लिए आवश्यक

- उस व्यक्ति/संस्था की निधियों और वित्तीय संपत्तियों को जब्त करना,
- यात्रा प्रतिबंध लागू करना, और
- हथियारों और संबंधित सामग्री तक पहुंच को बाधित करना।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह इसकी स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई।

- सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी।
- सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष के बाद होता है।
- इसका मुख्य कार्य दुनियाभर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद के काम का हिस्सा है।
- यह परिषद दुनियाभर के देशो में शांति मिशन भी भेजता है और अगर दुनिया के किसी हिस्से में सैन्य अभियान की आवश्यकता होती है, तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है।

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्नपत्र :** केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन

संदर्भ

प्रधानमंत्री 800 करोड़ रुपये के परिव्यय से गुजरात में मातृ पोषण पर एक योजना की शुरुआत करेंगे।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के तहत गुजरात के आंगनबाडी केंद्रों से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर महीने 2 किलो चना, 1 किलो अरहर की दाल और 1 किलो खाद्य तेल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
- एमएमवाई योजना का उद्देश्य गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके नवजात बच्चों को शुरुआती 1,000 दिनों के दौरान पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
- इस योजना से अनुमानित 1.36 लाख महिलाओं को लाभ होगा।

महत्व

- ज्ञातव्य है कि गर्भावस्था के दौरान कुपोषण और खून की कमी भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है और शिशु के खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार यह योजना लेकर आयी है।
- किसी महिला के लिए, जिस दिन से वह गर्भधारण करती है, उससे लेकर 270वें दिन तक और एक बच्चे के लिए गर्भधारण से लेकर पहले दो वर्ष या 730 दिन तक की अवधि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
- इसके अनुसार यह योजना बच्चों का ठीक तरह से विकास नहीं होना और समय से पहले प्रसव के मामलों को कम करेगी।
- बेहतर पोषण से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री आदिवासी-केंद्रित पोषण सुधा योजना

- प्रधानमंत्री आदिवासी-केंद्रित पोषण सुधा योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिसे पहली बार पांच आदिवासी बहुल जिलों - दाहोद, वलसाड, महिसागर, छोटा उदयपुर और नर्मदा के 10 तालुकों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू किया गया है।
- इसकी सफलता के बाद, सरकार 106 तालुका वाले 14 आदिवासी बहुल जिलों में इस योजना का विस्तार कर रही है।
- इस योजना के तहत आंगनवाड़ी में पंजीकृत गर्भवती एवं बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं को पूर्ण पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा, आयरन और कैल्शियम की गोलियों के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण पर शिक्षा भी दी जाती है।

स्रोत: द हिन्दू